# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

## अपील संख्या 12/83/2022

### कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/301

**अपीलार्थी** बनाम **प्रत्यर्थी**

श्रीमती चमेली देवी,
भू0पू0 वरिष्ठ अध्यापिका
नि0 बी–161, भगतसिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, जिला–अलवर
(राज.)–301019

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

**प्रवेश तिथि :: 12.07.2022**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## निर्णय

**दिनांकः 16.08.2022**

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने **सूचना आवेदन दिनांकः 09.05.2022** के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पेंशन के संबंध में जिला कोषाधिकारी, अलवर को प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांकः 04.02.2022 के संबध में की गई कार्यवाही बाबत सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा अपील प्रा0पत्र दिनांकः 25.06.2022 इस न्यायालय को प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 09.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 1402 दिनांकः 09.06.2022 के माध्यम से किए गए विनिश्चय पर आक्षेप व्यक्त किया है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से अपील में आक्षेपित बिन्दुओं के क्रम में संबंधित कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर से सूचना प्राप्त कर इस न्यायालय को पत्र सं. 1839 दिनांकः 29.07.22 के माध्यम से, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, जवाब पेश किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के **सूचना आवेदन दिनांकः 09.05.2022 में वांछित सूचना, प्रथम अपील दिनांकः 25.06.2022 में उठाये गये तथ्यों एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण** किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपील में आक्षेपित बिन्दु के अनुक्रम में संबंधित से सूचना प्राप्त कर (कोषाधिकारी, अलवर पत्र सं. 509 दिनांकः 27.07.2022) इस आशय के साथ अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है कि "कोषाधिकारी, झुन्झुनु से वार्तानुसार पेंशनर श्रीमती चमेलीदेवी की माह जुलाई, 2022 की पेंशन में माह 10/2019 की पेंशन राशि एरियर राशि रू. 21752/– अपडेट कर दी गई है। दिनांकः 01.08.2022 को पेंशन के खाते में राशि जमा हो जायेगी।" पेंशन विवरण की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की गई है।
8. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण अपील खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 16.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)